



of 20

व्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर , केम्प सागर

नन्हे भाई अहिरवार उम्र 50 साल पिता छोटेलाल अहिरवार
निवासी ग्राम घाटमपुर तहसील व जिला सागरआवेदक

॥ विरुद्ध ॥ निरानी-३२६५ | २०१४ | सागर | भूमि

संतोष कोरी उम्र 39 साल पिता नन्हे भाई अहिरवार
निवासी ग्राम घाटमपुर तहसील व जिला सागरअनावेदक
निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू. या. संहिता 1959

आवेदक की ओर से निगरानी प्रस्तुत कर निम्नलिखित प्रार्थना है :-

यह कि आवेदक द्वारा निगरानी विद्वान निम्न व्यायालय श्रीमान् राजस्व निरीक्षक महोदय सर्किल सुरखी तहसील व जिला सागर के सीमांकन प्रकरण क्रमांक 19-अ/12 वर्ष 2016-17 में की गयी कार्यवाही दिनांक 29.05.2017 से दुखित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है:-

प्रकरण के तथ्य

यह कि, संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार हैं कि अनावेदक ने अपने स्वामित्व की मौजा घाटमपुर पट. ह. नं. 114 रा. नि. मं. सुरखी तहसील व जिला सागर में स्थित खसरा नंबर 159/4 रकवा 0.80 हेक्टेयर कृषि भूमि का सीमांकन कराने बाबत आवेदन निम्न व्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसमें कोई तारीख अंकित नहीं है के आधार पर सीमांकन की कार्यवाही करते हुए सीमांकन किया गया तथा स्थल निरीक्षण पंचनामा आदि किया गया जिसमें मौके पर आवेदक का अनावेदक की भूमि पर कोई बेजा कब्जा नहीं पाया गया किन्तु बाद में स्थल पंचनामा एवं अन्य दस्तावेजों में ओवर राइटिंग कर आवेदक का बेजा कब्जा दर्शाते हुए बेदखली की कार्यवाही दृष्टिं सीमांकन आदेश के आधार पर अमल में लायी गयी जिसकी जानकारी

3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
 अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—निगरानी—3265 / 2018 / सागर / भू.रा.

नन्हे भाई अहिरवार विरुद्ध संतोष कोरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
२२-०८-२०१९	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी राजस्व निरीक्षक सर्किल सुरखी, तहसील व जिला—सागर के प्रकरण क्रमांक 19 / अ—१२ / २०१६—२०१७ में पारित सीमांकन आदेश दिनांक २९—०५—२०१७ के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म०प्र० भू—राजस्व संहिता १९५९ में दिनांक २७—०७—२०१८ को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक २५—९—२०१८ के फलस्वरूप संहिता की धारा ५० सहपठित संहिता की धारा ५४(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला—सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>२/ पक्षकार दिनांक ०४—११—२०१९ को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>  	